संख्या- 21 / 2025/ 483 / 9-7099/296/2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक : 30 जनवरी, 2025**

विषय-वित्तीय वर्ष 2024—25 में ''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)'' (सी.एम. ग्रिड्स) योजनान्तर्गत नगर निगम आगरा में सड़क के विकास कार्य की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा ''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)'' (सी.एम. ग्रिड्स) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासनादेश संख्या-02/2024/3789/001-E-1845282 , दिनांक 07.10.2024 द्वारा सी.एम. ग्रिड्स योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से ₹41667.76 लाख कतिपय शर्तो के अधीन निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.एम. ग्रिड्स योजनान्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के माध्यम से नगर आयुक्त नगर निगम **आगरा** द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम **आगरा** में 01 सड़क के विकास कार्य हेतु निम्नलिखित विवरण, शर्ते एवं प्रतिबन्धों के अधीन **कुल धनराशि ₹7540.72 लाख (₹पचहत्तर करोड़ चालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष राज्यांश के प्रथम किश्त की कुल धनराशि ₹2375.32 लाख (₹तेईस करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)** योजनान्तर्गत निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रं.सं.	कार्य का नाम	प्राप्त आगणन में अनुमानित लागत	मूल्यांकित लागत (अनुमन्य धनराशि)	मूल्यांकित लागत में राज्यांश (90%) की धनराशि	मूल्यांकित लागत में निकायांश (10%) की धनराशि	मूल्यांकित लागत की प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली राज्यांश की धनराशि	मूल्यांकित लागत की प्रथम किश्त के रूप में उपयोग/ वहन की जाने वाली निकायांश की धनराशि
1	टेढी बगिया से कालिंदी विहार NH-19 सर्विस रोड तक मार्ग का समेकित विकास	7718.58	7540.72	6786.648	754.072	2375.32	263.92

	एवं उन्नयन कार्य						
कुल योग		**7718.58**	**7540.72**	**6786.648**	**754.072**	**2375.32**	**263.92**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) '' मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) '' (सी.एम. ग्रिड्स) योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि संबंधित निकाय (नगर निगम) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत शेड्यूल कामर्शियल बैंक में खुले एस्क्रो अकांउट में की गयी व्यवस्थानुसार सी.ई.ओ. यूरिडा द्वारा संबंधित नगर निकाय को अवमुक्त की गयी धनराशि व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) ''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)''(सी.एम. ग्रिड्स) योजनान्तर्गत निर्गत दिशा—निर्देशों के अधीन स्वीकृत की गयी उपर्युक्त तालिका के अनुसार निकायांश की धनराशि का वहन नगरीय निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों / राज्य वित्त आयोग के फण्ड से किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) आगणन का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग की शिफ्टिंग हेतु ₹639.32 लाख एवं वाटर पाइप लाइन की शिफ्टिंग आदि हेतु ₹1534.59 लाख की धनराशि सम्मिलित करते हुए लागत का आकलन किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार नगर निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग से प्राप्त मैटेरियल की सैलवेज वैल्यू को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाये।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्य मदें यथा ड्रेन कवर, लाइट एण्ड फिक्सर्स, डेकोरेटिव लाइट, इलैक्ट्रिक पोल, एल०ई०डी० लाइट आदि कार्य कोटेशन / बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी हैं। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से

प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। अतः नगर निकाय/कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव में कतिपय कार्य पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ध्वस्तीकरण के पश्चात् मलवे इत्यादि से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) नगर निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य / स्ट्रीट लाइट एवं यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा विद्युत पोल शिफ्टिंग/अण्डरग्राउण्ड लाइन के निर्माण में कार्यों की द्विरावृत्ति न हो।

(12) प्रायोजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विसेज की स्थापना हेतु डक्ट का निर्माण लोक निर्माण विभाग के सुसंगत शासनादेश सं0-491/2023/सा0-598/23-1- 23-17 सा0/21 टी०सी०, दिनांक 08-06-2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाये।

(13) प्रायोजनान्तर्गत जिन कार्यमदों की लागत बाजार दरों/को टेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

(14) प्रायोजनान्तर्गत आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स मद में 05 वर्षो हेतु निर्माण लागत का 2.50 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य करते हुए लागत का आकलन किया गया है। इस मद में धनराशि अनुमन्यता की सीमा तक वास्तविक आधार पर देय होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा मार्गों के अनुरक्षण/मेन्टीनेन्स हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(15) प्रायोजनान्तर्गत मार्ग का निर्माण कार्य आई०आर०सी० के मानको के अनुरूप कराये जाने का उत्तरदायित्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था का है।

(16) कार्यदायी संस्था विभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग के स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायें।

(17) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगर निकाय/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(20) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(21) संबंधित नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(22) संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियेरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(23) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. धनराशि अनुमन्य की गयी है। कार्यदायी संस्था/नगर निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी.एस.टी. अलग से अनुमन्य न हो।

(24) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(25) उपरोक्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2025 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से उतनी ही धनराशि आगामी वर्षों में निकायो को अवमुक्त की जायेगी , जितना कि उनके द्वारा राजस्व संग्रहण में वृद्धि के आधार पर योजनान्तर्गत आवंटित होगी। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है , जहाॅ निकायों द्वारा राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नही की जा सकी , तो कार्ययोजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से करना होगा।

(27) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(28) शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03 (ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत योजना दिशा-निर्देशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2134/नौ-7-2023- 03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 के प्राविधानों के साथ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **₹2375.32 लाख (₹तेईस करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217058001100 मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-474-X-2024-25 दिनांक: 29/01/2025 पर दी गयी वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Kalyan Banerjee
Date: 30-01-2025 14:58:32

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 21 / 2025/ 483(1) / 9-7099/296/2024 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सी.ई.ओ. यूरिडा लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा उ.प्र.।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Kalyan Banerjee
Date: 30-01-2025 14:59:07

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।